राजस्व विविध 2024/26 अनवान कन्या बनाम ताराराम वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31/07/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री दिनेश कुमार माली व श्री प्रशांतसिंह राजपुरोहित उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01,3/3 के अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 के समस्त का.मु तथा 3/1,3/2 अनुपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01,3/3 के अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित पर्याप्त समय बावजुद जवाब पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द कर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सूनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन एवम् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ यथा प्रथमदृष्टया मामला बनना ,सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2024 को पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही समझते है वादग्रस्त भूमि ग्राम ढारिया के खसरा नम्बर 151/2 रकबा 2.14 हैक्टेयर एवम् ग्राम ढारिया के खसरा नम्बर 153 ,154 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म गै.मु बेरा व सडा के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक मौके पर रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखी जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष व अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	